प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 05 जुलाई, 2018

विषय: मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-18021/2017, निजामुद्दीन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं 02 अन्य में पारित मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2017 के अनुपालन में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-37/ना0उ0नि0/2017, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा याचीगणों को भुगतान किए जाने हेतु जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 27,32,400/- (रूपए सत्ताईस लाख बत्तीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2017 को निर्णय पारित किए गए निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

"The issue being raised in this writ petition also requires investigation into questions of fact and, thus, we deem it appropriate to refer the matter to be considered by the committee constituted vide Government Order dated 12.05.2016.

In such circumstances, writ petition stands disposed of giving liberty to the petitioners to make a representation before the Additional District Magistrate of the district who has been nominated as the Chairman of the Committee raising their grievances and annexing therewith all relevant documents in support of their allegations within three weeks from today

2/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

with the further direction to the Committee to consider the claim of the petitioners and decide the same in accordance with the procedure prescribed and within the time frame provided for such adjudication in the said Government Order."

2- मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में याची के प्रत्यावेदन दिनांक 15.05.2017/06.06.2017 का निस्तारण अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कुशीनगर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 26.12.2017 को किया गया तथा प्रकरण में रू0 27,32,400/- प्रतिकर के भुगतान की संस्तुति की गई, जिसके परिप्रेक्ष्य आपके उक्त पत्र द्वारा रू0 27,32,400/- (रूपए सत्ताईस लाख बत्तीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल विषयांकित याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.04.2017 के अनुपालनार्थ याचीगणों को भुगतान किए जाने हेतु रू0 27,32,400/- (रूपए सत्ताईस लाख बत्तीस हजार चार सौ मात्र) धनराशि की सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, कुशीनगर के निवर्तन पर रखी जाएगी तथा जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विषयांकित याचिका में पारित किए गए निर्णय के अनुपालनार्थ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

5- जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को तत्काल सूचित किया जाएगा।

6- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत निर्माण कार्य" से वहन की जाएगी।

3/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 के प्रस्त-2(21) में प्रदत्त प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पृ0सं0- 69/2018/906(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
4. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कुशीनगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कुशीनगर।
6. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/न्याय अनुभाग-6
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।